



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4904

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44924 वर्ष 2025 शेर सिंह

.....आवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अंजनी कुमार, गौरव तिवारी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री गौरव तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 321 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. एवं 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना - सेक्टर-63 नोएडा, जिला - गौतम बुद्ध नगर, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन की कथा के अनुसार, सूचक को उसके भतीजे सतीश ने फोन पर बताया कि आवेदक ने दिनांक 17.7.2025 को रात्रि लगभग 08:30 बजे उसके पुत्र सुमित को चाकू मारा था तथा घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल, गौतम बुद्ध नगर ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। आरोप मूलतः असत्य हैं। यह सत्य है कि सूचक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त, सूचक का भतीजा सतीश, जिसने उसे फोन पर सूचित किया, वह भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि उसे एक हरीश से घटना की सूचना मिली थी और उक्त साक्षी ने मृतक को चाकू मारने की भूमिका आवेदक को सौंपी है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि आवेदक ने कथित रूप से अपने शरीर पर स्वयं कुछ चोटें लगाई हैं। आवेदक को जो पाँच चोटें आई हैं उनमें से तीन उसकी छाती पर हैं, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी छाती पर स्वयं चोटें लगाना संभव नहीं है। अन्य दो चोटें ऊपरी अंगों पर हैं, अतः आवेदक को लगी चोटों की अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित व्याख्या नहीं की गई है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक स्वयं जिला सम्मिलित चिकित्सालय, नोएडा में भर्ती था तथा उसे सफदरजंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली रेफर किया गया था, अतः वह जमानत का अधिकारी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 30.7.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया।
9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त, जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि उचित संशय से परे अपराध सिद्ध न हो जाये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जायेगा, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धान्त को सर्वोच्च न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पुनरुक्त किया है।
11. उपरोक्त विचार को दोहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 में पुनः इस बात पर बल दिया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त कि जमानत को दण्ड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, कभी नहीं भुल या जाना चाहिए। अब उचित समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धान्त को मान्यता दे कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"
12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत से वंचित किये जाने को उचित ठहराती हो।
13. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के शरीर पर स्वयं पाँच छुरे के घाव आये हैं, जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित व्याख्या नहीं की गई है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह विचार रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
14. आवेदक - शेर सिंह, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 विकास वर्मा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"